	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 09, सोमवार, *शाके* 1945-जनवरी 29, 2024 *Magha 09 Monday , Saka 1945- January 29 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 05, 2024

संख्या प.4(20)कृषि/ग्रुप-2/2016 :- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा 1 के खण्ड ख एवं धारा 7 की उप धारा (2) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत नवगठित कृषि उपज मण्डी समिति, डबलीराठान के प्रथम बोर्ड के गठन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.4(13) कृषि/ग्रुप-2/2022 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा निम्नाकिंत मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है:-

कृषक वर्गः-

श्रीमती संतोष

श्री आदराम

श्री बलदेव सिंह

श्रीमती चन्द्रकला

श्रीमती दाखा देवी

श्री साधु सिंह

दलाल व व्यापारी वर्गः-

श्री भीम सैन

स्थानीय प्राधिकारियों का निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिः-

श्रीमती बेअन्त कौर

सहाकारी विपणन सोसाइटी का प्रतिनिधि:-

श्री महेन्द्र

विधान सभा का सदस्य:-

श्री विनोद कुमार चौधरी

राज्य सरकार द्वारा नामितः-

श्री रामलाल

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।